

FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 154 Cr.P.C.)

प्रथम सूचना रिपोर्ट
(धारा 154 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत)

1. District (जिला): STATE VIGILANCE BUREAU P.S. (थाना): SVB HISAR Year (वर्ष): 2018
FIR No. (प्र.सू.रि. सं.): 0025 Date and Time of FIR (प्र.सू.रि. की दिनांक और समय): 05/12/2018 18:01 hrs

2.

| S.No. (क्र.सं.) | Acts (अधिनियम) | Sections (धारा(एँ)) |
|-----------------|------------------------------------|---------------------|
| 1 | IPC 1860 | 166 |
| 2 | IPC 1860 | 34 |
| 3 | IPC 1860 | 409 |
| 4 | IPC 1860 | 418 |
| 5 | IPC 1860 | 465 |
| 6 | IPC 1860 | 467 |
| 7 | IPC 1860 | 468 |
| 8 | IPC 1860 | 471 |
| 9 | PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988 | 13(1)(c) |
| 10 | PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988 | 13(1)d |
| 11 | PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988 | 7 |

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):
1 Day (दिन): Intervening Days Date from (दिनांक से): 26/02/2014 Date To (दिनांक तक): 04/11/2015
Time Period (समय अवधि): Time From (समय से): 09:00 hrs Time To (समय तक): 05:00 hrs
- (b) Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई): Date (दिनांक): 05/12/2018 Time (समय): 14:40 hrs
- (c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ): Entry No. (प्रविष्टि सं.): 008 Date and Time (दिनांक और समय): 05/12/2018 15:13 hrs

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): Written

5. Place of Occurrence (घटनास्थल):

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा): SOUTH-EAST, 45 Km(s) Beat No. (बीट सं.):

(b) Address (पता): भिवानी,

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then Name of P.S. (यदि थाना सीमा के बाहर है तो थाना का नाम):

District (State) (जिला (राज्य)):

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):

(a) Name (नाम): INSP MUKES KUMAR

(b) Father's/Husband's Name (पिता/पति का नाम):

(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष): 24/02/1984

(d) Nationality (राष्ट्रीयता): INDIA

(e) UID No. (यूआईडी सं.):

(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):

Date of Issue (जारी करने की दिनांक):

Place of Issue (जारी करने का स्थान):

(g) ID Details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN) (पहचान विवरण (राशन कार्ड, मतदाता कार्ड, पासपोर्ट, यूआईडी सं., ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड))

| S. No. (क्र.सं.) | ID Type (पहचान पत्र का प्रकार) | ID Number (पहचान संख्या) |
|------------------|--------------------------------|--------------------------|
| 1 | Any Other | SVB BWN |

(h) Occupation (व्यवसाय): OTHERS

(i) Address (पता):

| S.No. (क्र.सं.) | Address Type (पता का प्रकार) | Address (पता) |
|-----------------|------------------------------|---|
| 1 | Present Address | SVB UNIT BWN, SVB HISAR, STATE VIGILANCE BUREAU, HARYANA, INDIA |
| 2 | Permanent Address | SVB UNIT BWN, SVB HISAR, STATE VIGILANCE BUREAU, HARYANA, INDIA |

(j) Phone number (दूरभाष सं.):

Mobile (मोबाइल सं.): 0

7. Details of known / suspected / unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):

| S. No. (क्र.सं.) | Name (नाम) | Alias (उपनाम) | Relative's Name (रिश्तेदार का नाम) | Present Address(वर्तमान पता) |
|------------------|--------------------------------|---------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 1 | कर्ण सिंह पटवारी | | | 1. सिवानी, BHIWANI, HARYANA, INDIA |
| 2 | हनुमान पटवारी | | | 1. सिवानी, BHIWANI, HARYANA, INDIA |
| 3 | ओमप्रकाश सहायक चकबन्दी अधिकारी | | | 1. सिवानी, BHIWANI, HARYANA, INDIA |
| 4 | श्यामलाल कानुनगो चकबन्दी विभाग | | | 1. सिवानी, BHIWANI, HARYANA, INDIA |

8. Reasons for delay in reporting by the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):

| S. No. (क्र.सं.) | Property Category (सम्पत्ति श्रेणी) | Property Type (सम्पत्ति के प्रकार) | Description (विवरण) | Value (In Rs/-) (मूल्य (रु में)) |
|------------------|-------------------------------------|------------------------------------|---------------------|----------------------------------|
| | | | | |

10. Total value of property (In Rs/-) (सम्पत्ति का कुल मूल्य (रु में)):

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी. प्रकरण सं., यदि कोई हो):

| S. No. (क्र.सं.) | UIDB Number (यू.डी. प्रकरण सं.) |
|------------------|---------------------------------|
| | |

12. First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):

श्रीमान जी, जांच क्रमांक 2 दिनांक 12.01.2018 भिवानी महानिदेशक रा0 चौ0 ब्यूरो (ह0), पंचकुला के पृष्ठांकन क्रमांक 997/1-3/SVB (H) के अनुसार दर्ज रजिस्टर होकर कार्यालय पुलिस अधीक्षक राज्य चौकसी ब्यूरो (ह0), हिसार मण्डल में जांच हेतु प्राप्त हुई थी यह जांच परिवादी विजेन्द्र पुत्र श्री चन्द्रभान व मनोज पुत्र श्री गुरुदयाल वासी गांव गोकुलपुरा जिला भिवानी की शिकायत व प्रारम्भिक जांच रिपोर्ट के आधार पर दर्ज रजिस्ट्रड की गई थी। जिसमें आरोप था कि श्री कर्ण सिंह, हनुमान पटवारी, तथा ओमप्रकाश सहायक चकबन्दी अधिकारी, सिवानी द्वारा गांव गोकुलपुरा तहसील लोहारू जिला भिवानी के गांव के रकबा की चकबन्दी करने के दौरान किसानों को चकबन्दी की कापी देने कि एवज में रिश्वत लेने व रिश्वत लेकर पचायती भूमि में से भूमि किसानों के रकबा में चढ़ाने का आरोप था। इन तथ्यों की जांच पहले निरीक्षक मस्ताना, वा निरीक्षक मुकेश कुमार उप केन्द्र भिवानी द्वारा की गई जिनकी जांच में आरोपों की पुष्टी होने उपरान्त जांच रिपोर्ट तैयार करके पुलिस अधीक्षक राज्य चौकसी ब्यूरो हिसार मण्डल के माध्यम से महानिदेशक राज्य चौकसी ब्यूरो (ह0), पंचकुला को भेजी गई जिसके उपरान्त महानिदेशक राज्य चौकसी ब्यूरो (ह0), पंचकुला

I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म-I)

ने पत्र क्रमांक नं० 13176/ राज्य चौकसी ब्यूरो (ह०), दिनांक 17.09.2018 द्वारा अतिरिक्त मुख्य सचिव चौकसी विभाग चण्डीगढ़ को अपनी टिप्पणी सहित यह जांच रिपोर्ट भेजी गई जो इस प्रकार से है। जांच अधिकारी द्वारा प्रस्तुत कथनों, प्रलेखों, अंतिम रिपोर्ट के अवलोकन से पाया गया है कि स्कीम इस्तेमाल के फिकरा न० 14 में यह स्पष्ट किया गया है कि हर मालिक के कुल रकबा पूरा करते समय 5 -मरला की कमी बैशी ना काबिले लिहाज होगी लेकिन चकबन्दी अधिकारियों श्री कर्ण सिंह तथा हनुमान पटवारी श्यामलाल कानूनगो व ओमप्रकाश सहायक चकबन्दी अधिकारी सिवानी जिला भिवानी द्वारा (1) राममेहर पुत्र जयलाल आदि गांव गोकुलपुरा का स्कीम इस्तेमाल के मुताबिक कुल रकबा 56 कनाल 14 मरला बनता है जबकि मुताबिक जमाबन्दी उनको 70 कनाल 12 मरला वितरित किया गया है, 2. रत्न सिंह पुत्र दरिया सिंह आदि गांव गोकुलपुरा स्कीम इस्तेमाल मुताबिक कुल रकबा 86 कनाल 2 मरला बनता है जबकि मुताबिक जमाबन्दी 91 कनाल 17 मरला वितरित किया गया है, 3. अमृतपाल पुत्र कप्पू गांव गोकुलपुरा स्कीम इस्तेमाल के मुताबिक कुल रकबा 66 कनाल 8 मरला बनता है। जबकि मुताबिक जमाबन्दी 71 कनाल 11 मरला वितरित किया गया है, 4. बीर सिंह पुत्र सरदारा आदि गांव गोकुलपुरा का स्कीम इस्तेमाल मुताबिक कुल रकबा 158 कनाल 7 मरला बनता है। जबकि मुताबिक जमाबन्दी 164 कनाल 15 मरला वितरित किया गया है, 5. ओमप्रकाश पुत्र हरिद्वारी गांव गोकुलपुर स्कीम इस्तेमाल मुताबिक कुल रकबा 74 कनाल 6 मरला बनता है। जबकि मुताबिक जमाबन्दी 79 कनाल 6 मरला वितरित किया गया है, 6. कुलदीप पुत्र प्रताप आदि गांव गोकुलपुर स्कीम इस्तेमाल मुताबिक कुल रकबा 266 कनाल 10 मरला बनता है। जबकि मुताबिक जमाबन्दी 270 कनाल 5 मरला वितरित किया गया है, 7. दयाराम पुत्र हरचन्द गांव गोकुलपुर स्कीम इस्तेमाल मुताबिक कुल रकबा 79 कनाल 15 मरला बनता है। जबकि मुताबिक जमाबन्दी 83 कनाल 0 मरला वितरित किया गया है, 8. महाबीर, बलबीर पुत्र रामप्रसाद आदि गांव गोकुलपुर स्कीम इस्तेमाल मुताबिक कुल रकबा 24 कनाल 18 मरला बनता है। जबकि मुताबिक जमाबन्दी 27 कनाल 17 मरला वितरित किया गया है, 9. विजय पुत्र रत्न सिंह गांव गोकुलपुर स्कीम इस्तेमाल मुताबिक कुल रकबा 31 कनाल 19 मरला बनता है। जबकि मुताबिक जमाबन्दी 34 कनाल 17 मरला वितरित किया गया है, 10. रामभगत पुत्र मनफूल गांव गोकुलपुर स्कीम इस्तेमाल मुताबिक कुल रकबा 266 कनाल 19 मरला बनता है। जबकि मुताबिक जमाबन्दी 269 कनाल 16 मरला वितरित किया गया है, 11. राजपाल पुत्र रत्न सिंह गांव गोकुलपुर स्कीम इस्तेमाल मुताबिक कुल रकबा 19 कनाल 4 मरला बनता है। जबकि मुताबिक जमाबन्दी 21 कनाल 9 मरला वितरित किया गया है, 12. बसन्तपाल पुत्र रामस्वरूप गांव गोकुलपुर स्कीम इस्तेमाल मुताबिक कुल रकबा 146 कनाल 5 मरला बनता है। जबकि मुताबिक जमाबन्दी 148 कनाल 6 मरला वितरित किया गया है, 13. सबे सिंह पुत्र माईधन गांव गोकुलपुर स्कीम इस्तेमाल मुताबिक कुल रकबा 128 कनाल 18 मरला बनता है। जबकि मुताबिक जमाबन्दी 130 कनाल 17 मरला वितरित किया गया है, 14. पवन पुत्र जयराम आदि गांव गोकुलपुर स्कीम इस्तेमाल मुताबिक कुल रकबा 178 कनाल 3 मरला बनता है। जबकि मुताबिक जमाबन्दी 179 कनाल 18 मरला वितरित किया गया है, 15. सतबीर, धर्मबीर, जयबीर, पुत्रान सज्जन विनोद पुत्र रामनिवास आदि गांव गोकुलपुर स्कीम इस्तेमाल मुताबिक कुल रकबा 365 कनाल 14 मरला बनता है। जबकि मुताबिक जमाबन्दी 367 कनाल 9 मरला वितरित किया गया है, 16. सोमबीर पुत्र श्रीराम आदि गांव गोकुलपुर स्कीम इस्तेमाल मुताबिक कुल रकबा 115 कनाल 14 मरला बनता है। जबकि मुताबिक जमाबन्दी 117 कनाल 9 मरला वितरित किया गया है, 17. हजारी पुत्र गुमाना गांव गोकुलपुर स्कीम इस्तेमाल मुताबिक कुल रकबा 125 कनाल 13 मरला बनता है। जबकि मुताबिक जमाबन्दी 127 कनाल 7 मरला वितरित किया गया है, 18. रामसिंह पुत्र दाताराम गांव गोकुलपुर स्कीम इस्तेमाल मुताबिक कुल रकबा 199 कनाल 18 मरला बनता है। जबकि मुताबिक जमाबन्दी 201 कनाल 10 मरला वितरित किया गया है, 19. ईश्वर पुत्र लिखमा राम गांव गोकुलपुर स्कीम इस्तेमाल मुताबिक कुल रकबा 26 कनाल 0 मरला बनता है। जबकि मुताबिक जमाबन्दी 27 कनाल 2 मरला वितरित किया गया है, 20. मान सिंह पुत्र लिखमाराम गांव गोकुलपुर स्कीम इस्तेमाल मुताबिक कुल रकबा 25 कनाल 15 मरला बनता है। जबकि मुताबिक जमाबन्दी 26 कनाल 14 मरला वितरित किया गया है, 21. बलवान पुत्र जमनाराम आदि गांव गोकुलपुर स्कीम इस्तेमाल मुताबिक कुल रकबा 179 कनाल 7 मरला बनता है। जबकि मुताबिक जमाबन्दी 180 कनाल 6 मरला वितरित किया गया है, 22. जगदीश पुत्र जयलाल आदि गांव गोकुलपुर स्कीम इस्तेमाल मुताबिक कुल रकबा 285 कनाल 15 मरला बनता है। जबकि मुताबिक जमाबन्दी 286 कनाल 10 मरला वितरित किया गया है, 23. महाबीर, बलबीर पुत्रान रामप्रसाद आदि गांव गोकुलपुर स्कीम इस्तेमाल मुताबिक कुल रकबा 339 कनाल 15 मरला बनता है। जबकि मुताबिक जमाबन्दी 340 कनाल 11 मरला वितरित किया गया है, 24. रमेश पुत्र रामस्वरूप गांव गोकुलपुर स्कीम इस्तेमाल मुताबिक कुल रकबा 44 कनाल 13 मरला बनता है। जबकि मुताबिक जमाबन्दी 45 कनाल 11 मरला वितरित किया गया है, 25. कलदीप पुत्र माईलाल गांव गोकुलपुर स्कीम इस्तेमाल मुताबिक कुल रकबा 19 कनाल 15 मरला बनता है। जबकि मुताबिक जमाबन्दी 20 कनाल 10 मरला वितरित किया गया है, 26. पृथ्वी पुत्र हरफूल गांव शेरला स्कीम इस्तेमाल मुताबिक कुल रकबा 12 कनाल 18 मरला बनता है। जबकि मुताबिक जमाबन्दी 13 कनाल 13 मरला वितरित किया गया है, 27. मूर्ति पुत्र रामकुमार गांव गोकुलपुर स्कीम इस्तेमाल मुताबिक कुल रकबा 2 कनाल 0 मरला बनता है। जबकि मुताबिक जमाबन्दी 3 कनाल 3 मरला वितरित किया गया है, 28. महाबीर पुत्र माताराम गांव गोकुलपुर स्कीम इस्तेमाल मुताबिक कुल रकबा 90 कनाल 7 मरला बनता है। जबकि मुताबिक जमाबन्दी 91 कनाल 11 मरला वितरित किया गया है, 29. चन्द्र राजेश, चरणसिंह पुत्रान प्रताप गांव गोकुलपुर स्कीम इस्तेमाल मुताबिक कुल रकबा 108 कनाल 9 मरला बनता है। जबकि मुताबिक जमाबन्दी 109 कनाल 6 मरला वितरित किया गया है, 30. महेन्द्र, धर्मबीर, बलबीर, पुत्रान अमर सिंह गांव गोकुलपुर स्कीम इस्तेमाल मुताबिक कुल रकबा 204 कनाल 19 मरला बनता है। जबकि मुताबिक जमाबन्दी 205 कनाल 19 मरला वितरित किया गया है, 31. कर्ण सिंह पुत्र पाला राम आदि गांव गोकुलपुर स्कीम इस्तेमाल मुताबिक कुल रकबा 20 कनाल 15 मरला बनता है। जबकि मुताबिक जमाबन्दी 23 कनाल 10 मरला वितरित किया गया है, 32. चतरू पुत्र सावल आदि गांव गोकुलपुर स्कीम इस्तेमाल मुताबिक कुल रकबा 11 कनाल 0 मरला बनता है। जबकि मुताबिक जमाबन्दी 13 कनाल 12 मरला वितरित किया गया है, 33. जयबीर पुत्र जयनारायण आदि गांव गोकुलपुर स्कीम इस्तेमाल मुताबिक कुल रकबा 142 कनाल 2 मरला बनता है। जबकि मुताबिक जमाबन्दी 142 कनाल 10 मरला वितरित किया गया है, 34. महाबीर, बन्टी, मनोज पुत्रान उमेद गांव गोकुलपुर स्कीम इस्तेमाल मुताबिक कुल रकबा 0 कनाल 12 मरला बनता है। जबकि मुताबिक जमाबन्दी 0 कनाल 16 मरला वितरित किया गया है, 35. महकमा लोक निर्माण विभाग (भ० व स०) स्कीम इस्तेमाल मुताबिक कुल रकबा 144 कनाल 0 मरला बनता है। जबकि मुताबिक जमाबन्दी 146 कनाल 13 मरला वितरित किया गया है, 36. केहर सिंह पुत्र गोकलराम गांव गोकुलपुर स्कीम इस्तेमाल मुताबिक कुल रकबा 53 कनाल 16 मरला बनता है। जबकि मुताबिक जमाबन्दी 55 कनाल 10 मरला वितरित किया जाना पाया गया है। ऐसा करके श्री कर्ण सिंह तथा हनुमान पटवारी व ओमप्रकाश सहायक चकबन्दी अधिकारी सिवानी जिला भिवानी द्वारा अपने क्षेत्राधिकार से बाहर नियमों के विरुद्ध जाकर गांव गोकुलपुरा के 36 मालिकों को लगभग 88 कनाल 3 मरला रकबा नियम के विरुद्ध जाकर इन किसानों को लाभ पहुंचाने के लिये वितरित कि जानी पाई गई है व उनके हिस्से से अधिक जमीन देकर उनका मालिकाना हक बढ़ाकर पंचायती जमीन को खुर्द बुर्द किया जाना पाया गया है। श्री कर्ण सिंह तथा हनुमान पटवारी व ओमप्रकाश सहायक चकबन्दी अधिकारी, सिवानी जिला भिवानी द्वारा अपने क्षेत्राधिकार से बाहर नियमों के विरुद्ध जाकर गांव

I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म-1)

गोकुलपुरा कि पंचायती भूमि पुरानी जमाबन्दी अनुसार पंचायती जमीन मुताबिक रिकार्ड सात टकों में विभाजित थी लेकिन पड़ताल के दौरान पाया गया है कि नई जमाबन्दी साल 2015-16 अनुसार खेवट न0 475 में ग्राम पंचायत की भूमि को 7 टकों से बढ़ाकर अन्य 25 टकों में विभाजित कि जानी पाई गई तथा पंचायती जमीन गांव गोकुलपुरा की खेवट न0 68 जमाबन्दी साल 1996-97 के अनुसार 1852 बिघा 17 बिस्वा जिसका कनाल मरला बनाये जाने पर 4116 कनाल दर्शाई गई है। जो कि स्कीम इस्तेमाल में भी फिकरा न0 6 में 4116 कनाल रकबा पंचायती भूमि दर्शाई गई है। लेकिन नई जमाबन्दी साल 2015-16 अनुसार खेवट न0 475 में ग्राम पंचायत की भूमि का कुल रकबा 4084 कनाल दर्ज किया जाना पाया गया है। पंचायती रिकार्ड अनुसार ग्राम पंचायत की भूमि जो प्लाटों में काटी गई थी उस रकबा का डेढ गुणा काटा जायेगा जिसके अनुसार पंचायती जमीन में 138 कनाल 8 मरला जमीन की बढ़ोतरी हुई है जिसके अनुसार पंचायती भूमि का कुल रकबा पुराना रकबा 4116-00138-08 4254 कनाल 08 मरला बनता है तथा जिसमें से रास्तो के लिए काटी गई मुजराई 64 कनाल 16 मरला निकालने पर 4189 कनाल 12 मरला रकबा बनता है जबकि पंचायती भूमि की खेवट न0 475 नकल जमाबन्दी साल 2015-16 में ग्राम पंचायत गोकुलपुरा की पंचायत भूमि का रकबा 4084 कनाल दर्शाया गया है। ऐसा करके श्री कर्ण सिंह तथा हनुमान पटवारी व ओमप्रकाश सहायक चकबन्दी अधिकारी सिवानी जिला भिवानी द्वारा अपने क्षेत्राधिकार से बाहर नियमों के विरुद्ध जाकर गांव गोकुलपुरा पंचायती भूमि कि लगभग 105 कनाल 12 मरला रकबा कम किया जाना पाया गया है। पड़ताल के दौरान प्राप्त किये गये किसानों के कथनों से पाया गया है कि श्री कर्ण सिंह तथा हनुमान पटवारी व ओमप्रकाश सहायक चकबन्दी अधिकारी सिवानी जिला भिवानी ने किसानों की जमीन की कापी देते समय लगभग किसानों से 500 से 1000 रु0 तक रिश्वत लेकर चकबन्दी कि कापी वितरित कि जानी पाई गई थी। जबकि चकबन्दी कि प्रति कापी 5 रूपये के हिसाब से किसानो से वसूल किये जाकर कुल 20425 रूपये हरियाणा सरकार के खजाना में जमा कराये जाने पाये गये है। लेकिन श्री कर्ण सिंह तथा हनुमान पटवारी व ओमप्रकाश सहायक चकबन्दी अधिकारी सिवानी जिला भिवानी द्वारा गांव गोकुलपुरा के भोले-भाले किसानो को गुमराह करके बेईमानी की नियत से जमीन की चकबन्दी की कापी देने की एवेज में 500 से 1000 रूपये लिये जाने पाये गये है व पड़ताल के दौरान रिकार्ड का बारीकी से अवलोकन करने पर पाया गया है। कि कुछ लोगों को गैरकानूनी ढग से उनके हिस्से से अधिक रकबा देने के लिए रिकार्ड माल में कटिंग, ओवरराईटिंग व नये किले न0 बाद में दर्ज कर करके जानबुझ बेईमानी व धोखाधडी करके रैवन्यू रिकार्ड माल के साथ छेड़छाड़ की गई है इसलिए कर्ण सिंह पटवारी, हनुमान पटवारी, श्यामलाल कानूनगो, व ओमप्रकाश सहायक चकबन्दी अधिकारी के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 166,409,418,465,467,468,471,34 भा0द0स0 भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की धारा 7,13(1)(C), 13(1)(D) व 13(2) के तहत मुकदमा दर्ज करने का सुझाव दिया जाता है। इसके अतिरिक्त श्री राकेश कुमार छौक्कर तत्कालीन चकबन्दी अधिकारी लोहारू जिसकी देख रेख में यह चकबन्दी हुई है। यह चकबन्दी हुई है। उन्होंने अपनी सरकारी ड्यूटी में कोताही करके, घोर लापरवाही को परिचय दिया है। इसलिए उसके विरुद्ध हरियाणा सिविल सेवाएं नियमावली 1987 (दण्ड व अपील)के नियम 7 के तहत विभागिय कार्यवाही किये जाने का सुझाव दिया जाता है। मुकदमा की तफतीश के दौरान उपरोक्त अपराध में राकेश कुमार छौक्कर सी0ओ0 की भी संलिपत्ता को भी देख लेने का सुझाव दिया जाता है इन सुझावो के साथ महानिदेशक राज्य चौकसी ब्युरो ने जांच रिपोर्ट पत्र क्रमांक 996-98/1-3 दिनांक 19.01.2018 के तहत मुख्य सचिव हरियाणा सरकार चौकसी विभाग चण्डीगढ भेज दी तदोपरान्त मुख्य सचिव हरियाणा सरकार चौकसी विभाग चण्डीगढ ने पृष्ठ क्रमांक 31/2/17-4 चौकसी (II) दिनांक 11.2018 द्वारा सूचित किया गया कि जांच रिपोर्ट के प्रक्षिणोपरान्त यह विभाग महानिदेशक, राज्य चौकसी ब्युरो, हरियाणा के सुझाव से सहमत है अतः महानिदेशक राज्य चौकसी ब्युरो, हरियाणा पंचकुला के पृष्ठ क्रमांक 15440/1-3/एस0वी0बी0 (ह0), की अनुपालना में उक्त कर्ण सिंह पटवारी, हनुमान पटवारी, श्यामलाल कानूगो व ओमप्रकाश सहायक चकबन्दी अधिकारी के विरुद्ध भा0द0स0 की धारा 166,409,418,465,467,468,471,34 भा0द0स0 व भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की धारा 7,13 (1), (सी), 13 (1)(डी) व 13(2) के तहत अभियोग अंकित करके नकुलात प्रथम सूचना रिपोर्ट बजरिया ईमेल ईलाका मजिस्ट्रेट साहब व पुलिस अधीक्षक भिवानी भिजवाई जावे । तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट अन्य सम्बन्धित अफसरान बाला को बजरिया डाक भिजवाई जावे । SD अर्गेंजी सुभाष चन्द्र थाना प्रबन्धक रा.चौ.ब्युरो हिसार (ह) हिसार मण्डल हिसार दिनांक 05.12.18 At 2.40 PM अज थाना:- लेख हजा पर मुकदमा व जुर्म दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर नकल मिशल पुलिस मय असल तहरीर हवाले उप पुलिस अधीक्षक श्री सुभाष चन्द्र रा. चौ. ब्युरो हिसार की गई नकुलात FIR बतौर स्पेशल रिपोर्ट ई-मेल द्वारा ईलाका मैजिस्ट्रेट साहब भिवानी व पुलिस अधीक्षक भिवानी की सेवा मे भेजी जा रही है । नकुलात FIR की हार्ड कापी बजरिया डाक भेजी जायेगी ।

13. Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.

(की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत है.):

- (1) Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया): Subhash Chander (Dy. SP (Deputy Superintendant of Police))/H58 or (या)
- (2) Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम): Rank (पद):
No. (सं.): to take up the Investigation (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or (या)
- (3) Refused investigation due to (जांच के लिए): or (के कारण इंकार किया या)
- (4) Transferred to P.S. (थाना): District (ज़िला):

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित).

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant /informant, free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी)

R.O.A.C. (आर.ओ.ए.सी.)

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना
प्रभारी के हस्ताक्षर)

Name (नाम): Subhash Chander

Rank (पद): INSPECTOR

No. (सं.): H/14

14. Signature / Thumb impression
of the complainant / informant
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर
/अंगूठे का निशान)

15. Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused: (If known / seen)

(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण: (यदि ज्ञात / देखा गया))

| S. No. (क्र.सं.) | Sex (लिंग) | Date / Year Of Birth (जन्म तिथि / वर्ष) | Build (बनावट) | Height (cms) (कद (से.मी.)) | Complexion (रंग) | Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह) |
|------------------|------------|---|---------------|----------------------------|------------------|--------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Male | 1973 | | | | Is Proxitted: Yes |
| 2 | Male | 1962 | | | | Is Proxitted: Yes |
| 3 | Male | 1962 | | | | Is Proxitted: Yes |
| 4 | Male | 1963 | | | | Is Proxitted: Yes |

| Deformities / Peculiarities (विकृतियाँ / विशिष्टताएँ) | Teeth (दाँत) | Hair (बाल) | Eye (आँखें) | Habit(s)(आदतें) | Dress Habit (s) (पहनावा) |
|---|--------------|------------|-------------|-----------------|--------------------------|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| Language/Dialect (भाषा/बोली) | Place of (का स्थान) | | | | | Others (अन्य) |
|------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|--------------|------------|----------------------|---------------|
| | Burn Mark (जले हुए का निशान) | Leucoderma (लुकोदेर्मा(सफ़ेद धब्बे)) | Mole (मस्सा) | Scar (घाव) | Tattoo (गूदे हुए का) | |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.

(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है)